न्यायालय:–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: लीलूराम सिहाग, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या :: 28/2014
सी.आई.एस. संख्या :: 1017/2014
सी.एन.आर. नंबर :: RJBK08–000021–2014

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

पप्पूराम पुत्र बलुराम, निवासी जसरासर, पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान चौधरी – अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 30.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2013 को गुमनाराम आर.पी.एस. ने मय जाब्ता मुकदमा संख्या 417/2013 पुलिस थाना नोखा के अनुसंधान हेतु ग्राम बगसेउ गए, तत्पश्चात् अनुसंधान के बाद जसरासर पुलिस चौकी के भवन निरीक्षण के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर जसनाथ पेट्रोल पम्प नोखा रोड जसरासर के सामने चाय की होटल पहुँचा तो होटल के मध्य वाले कमरे में तलाशी के दौरान कार्टून पड़े मिले, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसने अपना नाम पप्पूराम बताया। जाब्ता द्वारा कार्टूनों को चैक करने पर उसमें 17 कार्टून हैवर्ड 5000 कार्टून में प्रत्येक में 12–12 बोतल कुल 204 बोतल, किंगफिशर बीयर 650 एम.एल. के 05 कार्टून में 60 बोतलें, किंगफिशर 500 एम.एल. बीयर के 02 कार्टून में 24 बोतलें, बुलेट बीयर 650 एम.एल. के 04 कार्टून में 48 बोतलें, ट्यूबोर्ग बीयर के एक कार्टून में 12 बोतलें, एसी सेफ व्हिसकी के एक कार्टून में 48 पव्वे और ढोला मारू देशी शराब के 04 कार्टून में 192 पव्वे, महाराज मैनसर सौंफ के एक कार्टून में 48 पव्वे, एक कार्टून ड्राईजिन के 20 अध्धे, एक कार्टून में ड्राईजीन के 40 पव्वे, एक कार्टून में ड्राईजिन के 05 बोतलें, एक कार्टून में मेकडॉल नंबर 01 के 12 अध्धे, ऑफिसर चॉईस के 04 अध्धे, एसीसेफ व्हिसकी के 04 अध्धे, एक कार्टून में ऑफिसर चॉईस के 12 पव्वे, एसीसेफ के 09 पव्वे, बैगपाईपर व्हिसकी के 14 पव्वे, रोमनो वोदका के 15 पव्वे, मैजिक मूमेंट के 15 पव्वे एवं मैकडॉल व्हिसकी के 10 पव्वे मिले, जिस बाबत् पप्पूराम के पास लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। अतः अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आपराधिक कृत्य पाए जाने पर अवैध शराब प्रत्येक ब्राण्ड से बतौर सैंपल निकालकर शेष शराब को सील मोहर कर शराब व बीयर को कब्जा राज लिया गया .....

इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नोखा, बीकानेर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 426/2013 अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त पप्पूराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.1 रामेश्वरलाल, पी.ड.2 टीकूराम, पी.ड.3 सुमन, पी.ड.4 गंगाराम, पी.ड.5 गुमनाराम व पी.ड.6 अशोक कुमार को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 मालखाना रजिस्टर की प्रति, प्रदर्श पी.2 फर्द जब्ती अवैध शराब व बीयर एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी, प्रदर्श पी.3 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.3 ए हालातमौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.4 जब्तशुदा नमूना सैंपल को एफ.एस.एल. जाँच हेतु भेजने का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी.5 प्राप्ति रसीद, प्रदर्श पी.6 एफ.एस.एल रिपोर्ट एवं रोजनामचा आम, प्रदर्श पी.7 एफ.एस.एल. कैरियर की रवानगी व आमद, प्रदर्श पी.8 धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा एवं प्रदर्श पी.9 चाक एफ.आई.आर. को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्त पप्पूराम को बयान मुल्जिम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उसने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना बताया व साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए, लेकिन अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान दस्तावेज प्रदर्श डी.1 टीकूराम के पुलिस बयान को प्रदर्शित करवाया।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

> **"आया दिनांक 04.08.2013 को समय 04:35 पी.एम पर वाके जसनाथ पेट्रोल पम्प नोखा रोड जसरासर के सामने चाय की होटल, पुलिस थाना नोखा में अभियुक्त के अनन्य सचेतन कब्जे से 17 कार्टून हैवर्ड 5000 कार्टून में 204 बोतल, किंगफिशर बीयर 650 एम.एल. की 60 बोतलें, किंगफिशर 500 एम.एल. बीयर की 24 बोतलें, बुलेट बीयर 650 एम.एल. की 48 बोतलें, ट्यूबोर्ग बीयर की 12 बोतलें, एसी सेफ व्हिसकी के 48 पव्वे, ढोला मारू देशी शराब के 192 पव्वे, महाराज मैनसर सौंफ के 48 पव्वे, ड्राईजिन के 20 अध्धे, ड्राईजीन के 40 पव्वे, ड्राईजिन की 05 बोतलें, मेकडॉल नंबर 01 के 12 अध्धे, ऑफिसर चॉईस के 04 अध्धे, एसीसेफ व्हिसकी के 04 अध्धे, ऑफिसर चॉईस के 12 पव्वे, एसीसेफ के 09 पव्वे, बैगपाईपर व्हिसकी के 14 पव्वे, रोमनो वोदका के 15 पव्वे, मैजिक मूमेंट के 15 पव्वे एवं मैकडॉल व्हिसकी के 10 पव्वे अंग्रेजी शराब बिना विधिक अनुज्ञा पत्र के बरामद किए ?"**
>
> **"यदि हां तो अभियुक्त की उचित सजा क्या होगी?"**

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है अतः अभियुक्त को उपयुक्त दण्ड से दण्डित किया जावे, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

7. न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 05 गुमनाराम आर.पी.एस.** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 04.08.2013 को मुकदमा संख्या 417/2013 पुलिस थाना नोखा के अनुसंधान हेतु ग्राम बगसेउ गए। अनुसंधान के बाद जसरासर पुलिस चौकी पहुँचने पर जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर जसनाथ पेट्रोल पम्प नोखा रोड जसरासर के सामने चाय की होटल में पहुँचा तो होटल के मध्य वाले कमरे में तलाशी के दौरान कार्टून पड़े मिले, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसने अपना नाम पप्पूराम बताया। जाब्ता द्वारा कार्टूनों को चैक करने पर उसमें 17 कार्टून हैवर्ड 5000 कार्टून में प्रत्येक में 12–12 बोतल, किंगफिशर बीयर 650 एम.एल. के 05 कार्टून में 60 बोतलें, किंगफिशर 500 एम.एल. बीयर के 02 कार्टून में 24 बोतलें, बुलेट बीयर 650 एम.एल. के 04 कार्टून में 48 बोतलें, टर्बो बीयर के एक कार्टून में 12 बोतलें, एसी सेफ व्हिसकी के एक कार्टून में 48 पव्वे और ढोला मारू देशी शराब के 04 कार्टून में 192 पव्वे, महाराज मैनसर सौंफ के एक कार्टून में 48 पव्वे, एक कार्टून ड्राईजिन के 20 अध्धे, एक कार्टून में ड्राईजीन के 40 पव्वे, एक कार्टून में ड्राईजिन के 05 बोतलें, एक कार्टून में मेकडॉल नंबर 01 के 12 अध्धे, ऑफिसर चॉईस के 04 अध्धे, एसीसेफ व्हिसकी के 04 अध्धे, एक कार्टून में ऑफिसर चॉईस के 12 पव्वे, एसीसेफ के 09 पव्वे बैगपाईपर व्हिसकी के 14 पव्वे, रोमनो वोदका के 15 पव्वे, मैजिक मूमेंट के 15 पव्वे, मैकडॉल व्हिसकी के 10 पव्वे मिले, जिस बाबत् पप्पूराम के पास लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। मुल्जिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02 पर ए से बी व सी से डी मोतबिरान, ई से एफ मुल्जिम पप्पूराम तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा प्रदर्श पी 08 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 पर के से एल थानाधिकारी नोखा के हस्ताक्षर हैं। चाक एफ.आई.आर. 426/2013 पीएस नोखा प्रदर्श पी 09 पर ए से बी उसके व सी से डी एस.एच.ओ. नोखा के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की तफ्तीश में सुमन गोदारा ने घटना का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

8. पत्रावली में जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस. द्वारा फर्द जब्ती बाबत् किए गए सशपथ कथन की पुनरावृत्ति करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 02 टीकूराम एफ.सी.** ने फर्द जब्ती व गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02

तथा **पी.डब्ल्यू 06 अशोक कुमार** ने फर्द जब्ती व गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02 पर अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू 04 गंगाराम** ने जब्तशुदा वजह सबूत को एफ.एस.एल कार्यालय, जोधपुर में जमा करवाना बताया और एफ.एस.एल. रसीद क्रमांक 1988/2013 दिनांक 09.09.2013 को प्राप्त कर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। गवाह ने कथन किया कि अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 04 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 05 है।

9. इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू 01 रामेश्वरलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 04.08.2013 को मुकदमा नम्बर 426/2013 में जब्तशुदा वजह सबूत 17 पेटी बीयर, 05 पेटी बीयर, 02 पेटी बीयर, 04 बीयर पेटी, 01 बीयर पेटी, 01 पेटी शराब, 04 पेटी शराब, 01 पेटी शराब को मालखाना में जमा कर जमा की प्रविष्टि मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 728 में दर्ज की, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 01 पर ए से बी प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 09.09.2013 को गंगाराम एफ.सी के साथ मय अग्रेषण पत्र 20 सील्ड सैंपल एफ.एस.एल. कार्यालय, जोधपुर में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किए, जिसने सैम्पल जमा कराकर जमा की रसीद पेश की, जिनकी प्रविष्टियाँ क्रमांक 728 के ई से एफ भाग में है, जिस पर सी से डी गंगाराम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

10. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू 03 सुमन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 04.08.2013 को एफ.आई.आर. नंबर 426/2013 की तफ्तीश में उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व हालातमौका प्रदर्श पी 3ए बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा नमूना सैंपल को एफ.एस.एल. जाँच हेतु भेजने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 04 तथा जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 05 शामिल पत्रावली है। एफ.एस.एल. जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है। रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06 व एफ.एस.एल. कैरियर की एफ.एस.एल. बाबद रवानगी व आमद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 07 है। तफ्तीश से उसने अभियुक्त पप्पूराम के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जुर्म प्रमाणित मान पत्रावली एस.एच.ओ. को पेश की, जिन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

11. **पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के कब्जा व आधिपत्य से शराब बरामद होने का तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से किसी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं है। बरामदगीस्थल होटल का स्वामित्व अभियुक्त व्यक्ति का रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश ही नहीं हुई है। पत्रावली में जब्तीकर्ता अधिकारी ने जब्तीस्थल आबाद एरिया होने के कारण भी वरवक्त जब्ती स्वतंत्र मोतबिर नहीं बनाए तथा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। गवाहान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्न के उत्तर में अनभिज्ञता जाहिर की है। धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा नियमानुसार न्यायालय में पेश नहीं हुआ है और जब्तीस्थल होटल के स्वामी मृतक मालाराम के विधिक वारिसान से भी**

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने कोई अनुसंधान नहीं किया है। मालखाना रजिस्टर पर नमूना सील/हस्ताक्षर भी अंकित नहीं हैं तथा नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर अनुसंधान अधिकारी ने समय का अंकन नहीं किया है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने सभी बोतल और पव्वा में से सैम्पल नहीं लिया और सैम्पल कैरियर ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है।

12. **जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने बहस के जवाब में तर्क दिया कि अवैध शराब बरामदगी के समय अभियुक्त पप्पूराम को घटनास्थल पर ही मौका पर गिरफ्तार किया है। प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी ने स्वतंत्र मोतबिर की अनुप्लब्धता के कारण पुलिस मुलाजमान के समक्ष जब्ती की कार्यवाही सम्पादित की है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने प्रत्येक ब्राण्ड की शराब के बोतल व पव्वों में से नियमानुसार सैम्पल लेकर उसको सील्ड किया है। गवाहन के बयानों में सामान्य तथ्यों के सम्बन्ध में समय अंतराल के कारण मामूली विरोधाभास आने से अभियोजन कहानी को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। अभियुक्त के कब्जा व आधिपत्य से बरामदशुदा वजह सबूत मुताबिक दस्तावेज प्रदर्श पी 06 एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर अवैध शराब होना स्पष्ट साबित हुआ है।**

13. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्षकारान द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्कों के संदर्भ में न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है कि हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त का जहाँ तक यह तर्क कि अभियुक्त के कब्जा व आधिपत्य से शराब बरामद होना अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं है, तब इस संदर्भ में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 के अवलोकन से यह प्रकट है कि जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस. मय जाब्ता द्वारा मुखबिर की इत्तिला पर धारा 47 आबकारी अधिनियम की फर्द मुर्तिब कर पुलिस मुलाजमान टीकूराम एफ.सी. 1081 तथा अशोक कुमार एफ.सी. 997 के रूबरू होटल पप्पूराम की तलाशी लेने पर होटल के मध्य वाले कमरे में तलाशी के दौरान अलग–अलग ब्राण्ड की शराब और पव्वे बिना लाईसेंस व परमिट के बरामद होना तथा मौका पर अभियुक्त पप्पूराम का होटल पर बैठा हुआ होना बताया है। जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा बरामदशुदा शराब मार्क–A से मार्क–N को शील्ड मोहर कर नियमानुसार सैम्पल लेकर अभियुक्त पप्पूराम को मौका पर ही गिरफ्तार करना तथा फर्द हाजा मुर्तिब करना प्रकट हुआ है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गुमनाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की ओर वरवक्त जब्ती होटल पर अभियुक्त पप्पूराम का मौका पर उपस्थित होना स्पष्ट बताया है। जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट किया कि बरामदगीस्थल वाली होटल किसके नाम थी, इसके मालिकाना हक बाबत् उसने कोई कागजात नहीं लिया तथा होटल पर प्रोपराईटर का नाम पप्पूराम लिखा था या नहीं गवाह ने याद नहीं होना बताया। इसी प्रकार वरवक्त अवैध शराब जब्ती मौका पर उपस्थित गवाह टीकूराम पी.डब्ल्यू 02 तथा अशोक कुमार पी.डब्ल्यू 06 ने भी जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस. द्वारा फर्द जब्ती में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अभियुक्त पप्पूराम का वरवक्त घटनास्थल पर उपस्थित होना और जब्तीस्थल होटल में बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध शराब बरामद होना स्पष्ट बताया है। टीकूराम ने अपनी

प्रतिपरीक्षा में पप्पूराम का चाय के होटल में बैठा हुआ होना और उसके द्वारा चाय बनाना बताया। गवाह का यह भी कथन रहा है कि उनके द्वारा अभियुक्त पप्पूराम से शराब बेचने के बाबत् पूछताछ भी की गई थी और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने बरामदगीस्थल भवन पप्पूराम का होना बताया। पत्रावली में अवैध शराब जब्ती के गवाह अशोक कुमार एफ.सी. ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में हॉल में चाय का होटल होना और होटल में पप्पूराम नाम का व्यक्ति उपस्थित होना स्पष्ट बताया है।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी 02 फर्द जब्ती एवं जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस. तथा गवाह टीकूराम एवं अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त पप्पूराम का वरवक्त शराब जब्ती मौका पर उपस्थित होना और जब्ती की कार्यवाही मौका पर ही सम्पादित कर सैम्पल लेकर वजह सबूत को सील्ड कर अभियुक्त को मौका पर ही गिरफ्तार करना स्पष्ट रूप से बताया है, इस प्रकार जब अभियुक्त जब्तीस्थल अवैध शराब पर मौका पर ही उपस्थित रहा और जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया तथा वरवक्त जब्ती बरामदगीस्थल होटल का संचालक अन्य कोई व्यक्ति रहा हो, ऐसा भी अभियुक्त पक्ष द्वारा साबित नहीं है, इस कारण अभियुक्त व्यक्ति के कब्जा व आधिपत्य से शराब बरामद नहीं हुई हो, ऐसा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया गया है।

16. इसके अलावा जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि गवाहान के बयानों में विरोधाभास आने का प्रश्न है तो इसके सम्बन्ध में –

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सम्मानीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2013(1) क्रिमिनल 595 बाबू खां व अन्य बनाम राज्य** के प्रकरण में भी यह विधि प्रतिपादित की गई है किः–

> **Due to lapse of time or due to mental capacity of witness there is always normal discrepancies in the deposition of witness – So it can be ignored.**

न्यायालय के मत में पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि मुताबिक फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 घटनास्थल से बरामदगी की कार्यवाही वर्ष 2013 की रही है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से जब्तीदल के गवाहान न्यायालय में लगभग 12–13 वर्ष पश्चात् साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं, इस कारण इतने समय अंतराल के पश्चात् अभियोजन साक्षीगण से फर्द बरामदगी की कार्यवाही की एक वीडियो क्लिप की तरह हूबहू यथावत वृतांत प्रकट करने की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है, इस कारण सामान्य तथ्यों के सम्बन्ध में गवाहान के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास आना सद्भाविक है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित जब्तीकर्ता अधिकारी सहित वरवक्त मौका पर उपस्थित गवाहान की मुख्य परीक्षा के साथ–साथ प्रतिपरीक्षा के समग्र अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गवाहान के बयानों में ऐसा कोई भारी विरोधाभास पत्रावली में न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं है, जिससे गवाहान द्वारा किए गए सशपथ कथन सदेहास्पद प्रकट हों, ऐसे में उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया

गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता, जो तद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली में जहाँ तक जब्ती में स्वतंत्र मौतबीर नहीं रखने का तर्क है तो इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत "Sathyan vs State of kerala cr. app. no. 2363 of 2023 SLP (Cri). no. 9710/2023" में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः–

23. Referring to State (Govt. of NCT of Delhi) v. Sunil,(2001) SCC 652 in Kulwinder Singh v. State of Punjab(2015) 6 SCC 674 this court held that:–

"23 ..... That apart, the case of the prosecution cannot be rejected solely on the ground that independent witnesses have not been examined when, on the perusal of the evidence on record the Court finds that the case of the evidence on record the Court finds that the case put forth by the prosecution is trustworthy. When the evidence of the official witnesses is trustworthy and credible, there is no reason not to rest the conviction on the basis of their evidence."

"25 ..... Recently, this court in Mohd. Naushad v. State (NCT of Delhi) had observed that the testimonies of police witnesses, as well as obeserved out memos do not stand vitiated due to the absence of independent witnesses.

In Karamjit Singh v. State (Delhi Administration), AIR 2003 SC 1311, [dated:26.03.2003], Hon'ble Apex Court held that the testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses their testimony cannot be relied upon. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of police personnel as of other persons and it is not a proper judicial approach to distrust and suspect them without good grounds. It will all depend upon the facts and circumstances of each case and no principle of general application can be laid down.

The recovery of explosive material was made from the house of the accused and this fact is proved by police personnel beyond reasonable doubt. Non–examination of public witnesses is not fatal to the prosecution.

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा मुताबिक फर्द जब्ती एवं सशपथ कथन में प्रकट विवरण के अनुसार जब्ती की कार्यवाही के समय स्वतंत्र मोतबिर नियुक्त करने का प्रयास करना स्पष्ट प्रकट किया गया है, चूँकि स्वतंत्र मोतबिर उपलब्ध नहीं होने पर जब्तीकर्ता दल के सदस्यों के समक्ष फर्द जब्ती की कार्यवाही सम्पादित की गई है और अभियोजन पक्ष की ओर से जब्ती के गवाहान भी न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 में अंकित तथ्यों की अपने सशपथ कथन में ताईद स्पष्ट रूप से की है, इस कारण केवल मात्र स्वतंत्र मोतबिर की उपस्थिति में जब्ती की कार्यवाही नहीं करने के आधार पर जब्ती की कार्यवाही को अवैध एवं अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।

17. अधिवक्ता अभियुक्त का जहाँ तक यह तर्क कि जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा जब्तशुदा अवैध शराब में से नियमानुसार सैम्पल नहीं लिए, तब इस सम्बन्ध में गवाह गुमनाराम आर.पी.एस. ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी प्रदर्श पी 02 फर्द जब्ती में अंकितानुसार प्रत्येक ब्राण्ड की शराब में से सैम्पल लेना बताया है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया कि बरामदशुदा शराब के प्रत्येक पव्वा, बोतल, अध्धा में सैम्पल नहीं लिया, फिर कहा कि प्रत्येक ब्राण्ड की शराब में से सैम्पल लिए थे और अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि बरामदशुदा शराब के प्रत्येक बोतल, अध्धा, पव्वा के ढक्कन खोलकर उन्होंने नहीं देखा।

18. न्यायालय के मत में प्रकरण के जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 के अनुसार प्रत्येक ब्राण्ड की शराब में से नियमानुसार सैम्पल लेना अपने सशपथ कथन में प्रकट किया है और बरामदशुदा प्रत्येक बोतल, अध्धा व पव्वा के ढक्कन खोलकर नहीं देखना बताया। हालांकि जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रत्येक बोतल, अध्धा व पव्वा को ढक्कन खोलकर नहीं देखना प्रकट किया है, लेकिन बरामदशुदा शराब में से सैम्पल लेने के पश्चात् अन्य वजह सबूत बोतल, अध्धा व पव्वा में शराब के अतिरिक्त अन्य कोई पेय पदार्थ रहा हो, ऐसा भी अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रकट नहीं किया है और ना ही अधिवक्ता अभियुक्त का ऐसा कोई प्रश्न या सुझाव जब्तीकर्ता अधिकारी से रहा है कि बरामदशुदा अवैध शराब में सैम्पल लेने के पश्चात् शेष वजह सबूत में शराब नहीं होकर अन्य कोई पेय पदार्थ भरा हुआ हो। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज एफ.एस.एल. जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि इसमें वजह सबूत सैम्पल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से बाद जाँच इसमें एथिल एल्कोहल का होना स्पष्ट रूप पाया है, इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी 02 फर्द जब्ती अवैध शराब के समय नियमानुसार सैम्पल लेकर कार्यवाही सम्पादित नहीं की हो, ऐसा स्वीकार योग्य नहीं है।

19. अधिवक्ता अभियुक्त का जहाँ तक यह तर्क कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मालाराम के विधिक वारिसान से अनुसंधान नहीं किया, मालखाना रजिस्टर पर नमूना सील व हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं और नक्शामौका पर समय का अंकन नहीं होना और समय बाबत् गवाहान के बयानों में विरोधाभास आने के सम्बन्ध में रहा है तो इस संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पप्पूराम से बिना लाईसेंस व परमिट के रूबरू मोतबिरान अवैध शराब बरामद होना स्पष्ट है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह रामेश्वरलाल मालखाना इंचार्ज ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर पर नमूना सील अंकित नहीं है तथा इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सैम्पल व अन्य वजह सबूत पर हस्ताक्षरित लोगों के नाम वह नहीं जानता तथा इस तथ्य बाबत् भी याद नहीं होना बताया कि सैम्पल व वजह सबूत पर कौनसी सील लगी हुई थी। इसी प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुमन एस.आई. द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया कि

बरामदगीस्थल नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर समय अंकित नहीं है और यह भी स्वीकार किया कि वह बरामदगीस्थल पर कब गई, इसका निश्चित समय वह नहीं बता सकती। इस सम्बन्ध में अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत –

(1962) 0 **सुप्रीम (राज.) 3607 राज्य बनाम श्रीनारायण** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि –

> **Excise Act, Sec. 54- Where recovery proved, illeglity or irregularity in search does not vitiate trial where it does not prejudice accuse.**

चूँकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त से अवैध शराब बिना लाईसेंस व परमिट के बरामद होना तथा अभियुक्त को मौका पर ही गिरफ्तार किया गया है और अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह जब्तीकर्ता अधिकारी सहित मौका पर उपस्थित गवाहान अशोक कुमार एवं टीकूराम ने भी फर्द जब्ती में अंकित तथ्यों की ताईद स्पष्ट रूप से की है, इस प्रकार उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त से अवैध शराब बरामद होने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है और प्रकरण में मालखाना रजिस्टर पर हस्ताक्षर व सील मुद्रा का अंकन नहीं होना तथा नक्शामौका पर समय आदि के अंकन नहीं होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो, ऐसा न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं है, अतः इस आधार पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता, जो तद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

20. हस्तगत प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी श्री गुमनाराम आर.पी.एस. पुलिस थाना, नोखा मय जाब्ता ने मुखबिर इत्तिला के अनुसरण में धारा–47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा मुर्तिब कर अभियुक्त के कब्जा व आधिपत्य से बिना लाईसेंस व परमिट के विभिन्न ब्राण्ड की शराब बरामद होना और बरामदगी के गवाहन टीकूराम व अशोक कुमार ने अपने समक्ष मुताबिक फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 के शराब बरामद होना तथा घटनास्थल पर ही शराब को सील्ड कर अपने–अपने हस्ताक्षर करना स्पष्ट प्रकट किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से थाना से रवानगी एवं आमद बाबत् रोजनामचा आम प्रदर्श पी 06 को भी बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाया है। इसी के साथ–साथ अनुसंधान अधिकारी सुमन गोदारा एस.आई. ने जब्तशुदा अवैध शराब मय सैंपल को सैंपल कैरियर गंगाराम द्वारा मालखाना से वजह सबूत एफ.एस.एल. में जमा करवाकर मालखाना अधिकारी को वापस रसीद प्रदर्श पी 05 जमा करवाना तथा इस बाबत् एफ.एस.एल. बाबत् अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 04 और प्रकरण की एफ.एस.एल. जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 को भी न्यायालय में बतौर एक श्रृंखलाबद्ध श्रेणी (Chain), दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाया है। प्रकरण के जब्तीकर्ता अधिकारी गुमनाराम आर.पी.एस. द्वारा जब्ती की कार्यवाही रूबरू मोतबिरान करना एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुमन एस.आई., पुलिस थाना, नोखा ने भी बाद अनुसंधान अभियुक्त पप्पूराम के विरुद्ध जुर्म धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम प्रमाणित मानने का तथ्य भी अपने सशपथ कथन में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है।

इस संदर्भ में धारा 68, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अवलोकन से स्पष्ट है कि –
धारा 68, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक अभियोजन में, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये तब तक आगे किसी अतिरिक्त साक्ष्य के बिना ही यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने आबकारी योग्य वस्तु के संबंध में उक्त अपराध किया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार विधिक उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध विधि अनुसार किए जाने का प्रावधान है। यद्यपि यह उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है किंतु उपर किये गये विवेचन को देखते हुए हस्तगत प्रकरण में उक्त उपधारणा को बचाव पक्ष किसी प्रकार खंडित नही कर पाया हैं।

21. ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान व प्रदर्शित कराए गए दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पप्पूराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

:: आदेश ::

22. फलतः अभियुक्त **पप्पूराम** पुत्र बलुराम, निवासी जसरासर, पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर को अपराध अन्तर्गत **धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950** के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)

सजा के बिन्दु पर सुना गयाः–

23. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। इससे पूर्व उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि साबित नहीं है। अभियुक्त ग्रामीण परिवार का व्यक्ति है और उनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः अभियुक्त पर नरमी का रुख अपनाते हुए परिवीक्षा लाभ दिया जावे, जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए अभियुक्त को उपर्युक्त सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

24. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में गुमनाराम आर.पी.एस., वृत्ताधिकारी, नोखा ने अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न ब्राण्ड की शराब की बोतलें, पव्वे व अध्धे उसके चैतन्य व अनन्य कब्जे से बरामद होना, जिसको कब्जे में रखने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या परमिट नहीं होना साबित है, जिससे राज्य सरकार को काफी राजस्व की हानि होती है और समाज पर इसका विपरीत असर पड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त पप्पूराम को विधि अनुसार दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–: दण्डादेश :–

25. अतः अभियुक्त **पप्पूराम** पुत्र बलुराम, निवासी जसरासर, पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर को अपराध अंतर्गत **धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950** में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर **धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में 03 वर्ष** का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा अवैध शराब से आबकारी शुल्क की कितनी हानि हुई है, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं किया है। अतः अभियुक्त पर **धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में 20,000/– रूपये** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है**, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।** अर्थदण्ड राशि जमा होने पर उक्त राशि राजकोष में जमा की जावे। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्त की सजा का वारण्ट नियमानुसार बनाया जावे। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

26. प्रकरण में जब्तशुदा अवैध शराब मुताबिक फर्द बरामदगी का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2014 द्वारा किया जा चुका है।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)

27. **निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।**

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)